रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173-ए] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1975/आषाढ़ 7, 1897
No. 173-A] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1975/ASADHA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 28th June 1975

G.S.R. 362-A(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 154/75-Central Excises, dated the 3rd June, 1975, namely:—

In the said notification, in clause (b) of the 'Explanation' below clause (i) of the proviso, for the words, brackets and figures "the manufacturer makes a declaration that he shall not use labels, which are approved by the Collector of Central Excise under sub-rule (3) of rule 71 of the Central Excise Rules, 1944, for any other manufacturer", the words, brackets and figures "the manufacturer owning one or more factories in a State or in more than one State makes a declaration that he shall not use lebels which have been approved for any other manufacturer in the said State or States under sub-rule (3) of rule 71 of the Central Excise Rules, 1944," shall be substituted.

[No 158/75 CE]

N RAJA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 28 जून, 1975

सा० का० नि 362-ए(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 154/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 जून, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के खण्ड (i) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (ख) में, "विनिर्माता यह घोषणा करे कि यह उन लेबिलों का उपभोग नहीं करेगा, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 71 के उप-नियम (3) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलक्टर द्वारा किसी अन्य विनिर्माता के लिए अनुमोदित किए गए हैं "शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर," विनिर्माता, जो किसी एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में एक या अधिक कारखानों का स्वामी है, यह घोषणा करे कि वह उन लेबलों का उपयोग नहीं करेगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 71 के उप-नियम (3) के अधीन उक्त राज्य या राज्यों में किसी अन्य विनिर्माता के लिए अनुमोदित किए गए है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे ।

[सं० 158/75-CE]

एन० राजा, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975